न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार), कानपुर देहात

उपस्थितः– हिमांशु कुमार सिंह .....उच्चतर न्यायिक सेवा(H.JS.)

J. O. CODE NO.–UP 1817

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–521/2026

UPRN010012952026

सीपू बालिग उम्र 22 वर्ष पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम निमधा थाना सजेती , जिला कानपुर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्ष/अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०–15/2026
धारा–74,109(1),115(2),351(3),326(g) भा०न्या०सं०
थाना– सजेती , कानपुर नगर।

<u>नियमित जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

आवेदक/अभियुक्त सीपू पुत्र अशोक की ओर से प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 521/2026, अ०सं०– 15/2026, धारा–74,109(1),115(2),351(3),326(g) भा०न्या०सं०, थाना सजेती , कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के आधार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया मुकदमा गलत है। आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि " दिनांक 14/01/2026 को समय लगभग 7 बजे सायं को प्रार्थिनी अपनी ननद सफीना के साथ शौच–क्रिया हेतु खेतों में गयी थी तो वहां पर सीपू पुत्र अशोक पहले से घात लगाये बैठा था और प्रार्थिनी की ननद को बुरी नजर से दबोच लिया तो प्रार्थिनी ने शोर मचाया तो प्रार्थिनी का पति सईद व प्रार्थिनी की सास मुन्नी मौके पर आ गये और उक्त व्यक्ति से प्रार्थिनी की ननद को छुड़वाने लगे तो अनुरुद्ध व दीपू तथा अशोक व सत्यम निवासीगण निमधा थाना सजेती जिला कानपुर देहात एकराय होकर लाठी डण्डों व कुल्हाड़ी से लैंस होकर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की ननद व प्रार्थिनी की सास को बुरी तरह मारापीटा तथा दीपू ने प्रार्थिनी के पति को जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी के पति के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे प्रार्थिनी के पति के सिर में गम्भीर चोट तथा प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की ननद व प्रार्थिनी की सास के अन्दरूनी व बाहरी चोटे आयी है और प्रार्थिनी व प्रार्थिनी ननद व प्रार्थिनी का पति व सास अपनी जान बचाकर भागी और उक्त लोगों ने प्रार्थिनी को धमकी दी और कहा कि अगर कही शिकायत की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे और

उक्त लोगों ने प्रार्थिनी के घर में आग लगा दी जिससे घर गृहस्थी का सामान तथा सारे कपड़े जल गये है। "

आवेदक/अभियुक्त ने न ही सफीना को बुरी नियत से दबोचा और न ही सफीना व उसके घर वालों के साथ मारपीट की तथा न ही उसके घर में आग ही लगायी है न ही जान से मारने की धमकी ही दी है। कथित आरोप कतई फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त ने सफीना के साथ जोर जबरदस्ती कैसे कर सकता है जबकि उसकी भाभी उसके साथ थी जिससे घटना का फर्जी व बनावटी होना स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छेड़खानी करेगा तो उसके भाई व पिता स्वयं लड़के को ही पीटगे न की पीड़िता तथा उसके पारिवारिकजनों के साथ मारपीट ही करेगे। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मारपीट करना नहीं कहा गया है लिहाजा आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ धारा–109 (1) बी०एन०एस० का जुर्म कतई नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके घर में आग लगाने की बात नहीं कही गयी है जिससे भी आगजनी की घटना झूठी प्रतीत होती है। सही बात यह है कि वादिनी के पारिवारिकजनों ने मुकदमें में रंगत देने के लिये घर के सामने बने छप्पर में स्वयं ही आग लगायी है जिसमें कोई घर गृहस्थी का सामान नहीं था जो कि खराब छप्पर था। सही बात यह है कि वादिनी के जानवर आवेदक/अभियुक्त के खेत में चर रहे थे जिस पर आवेदक/अभियुक्त ने मना किया उसी बात पर कहासुनी हो गयी जिसके कारण उक्त झूठा मुकदमा लिखा दिया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त सजायाफ्ता भी नहीं है। प्रार्थी के भागने व फरार होने की आशंका नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिया गया जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् सी० जे०एम० कानपुर देहात ने बिना तथ्यों पर गौर किये हुए खारिज कर दिया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रथम है इसके पूर्व श्रीमान् जी के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष कोई जमानत प्रार्थना पत्र नही दिया गया है और न ही विचाराधीन है। याचना की गयी है कि जमानत प्रा०पत्र स्वीकृत कर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त जमानत का प्रबल विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथित उपरोक्त अपराध कारित गया है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

इस न्यायालय ने उक्त आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रा०पत्र पत्रावली, थाना आख्या, केस डायरी, आरोप पत्र आदि प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सीपू पर धारा–74,109(1),115(2),351(3),326(g) भा०न्या०सं० का आरोप लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त जेल मे है।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त द्वारा, पीडिता के साथ छेड़खानी व उसके परिवारीजन भाई इत्यादि के साथ मारपीट कर उन्हे गम्भीर रूप से घायल करने का अपराध किया गया है । पीडिता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS व 183BNSS मे घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की पुष्टि की है व स्वयं के साथ छेडखानी व

भाई का सिर कुल्हाडी से घायल करने का तथ्य बतलाया है जिसके संबंध मे चिकित्सीय आघात आख्या भी साक्ष्य मे संकलित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत अभियुक्त सीपू द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर पी़डिता के घर मे आग भी लगायी है जिससे उनका समस्त गृहस्थी का समान भी जल गया है व पीडिता इत्यादि अल्पसंख्यक मुस्लिम धर्म के अनुयायी है जिनके विरूद्ध अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध कारित किया है।

अतः जमानत पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, आरोप पत्र, चिकित्सीय प्रपत्रों , बयान अंतर्गत धारा 180 BNSS व 183 BNSS तथा तथ्य परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व उसके समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई भी औचित्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तद्नुसार प्रकरण के गुण–दोष पर कोई भी राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय के मत में नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सीपू की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 521/2026, अ०सं०–15/2026, धारा–74, 109(1), 115(2), 351(3), 326(g) भा०न्या०सं०, थाना सजेती , कानपुर नगर तद्नुसार खारिज किया जाता है।

(हिमांशु कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय
(महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार)
कानपुर देहात

दिनाँक–16.03.2026

Digitally signed by HIMANSHU KUMAR SINGH
Date: 2026.03.16 17:39:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court